आज़ादी का अमृत महोत्सव

<u>ई-मेल द्वारा</u>

29 अक्टूबर, 2024

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियाँ

महोदया/महोदय,

मुख्य व्यवसाय मानदंड की मासिक रिपोर्टिंग पर परामर्श हेतु

मास्टर निदेश - एनबीएफसी – आ.वि.कं. (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021 के पैराग्राफ 4.1.17 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक आवास वित्त कंपनी (आ.वि.कं.) द्वारा मुख्य व्यवसाय मानदंड (पीबीसी) का अनुपालन किया जाए।

2. विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप पीबीसी मानदंडों की निगरानी बढ़ाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आ.वि.कं. तिमाही प्रस्तुतियों के बजाय मासिक रूप से अपना पीबीसी अनुपालन डेटा प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

3. इसके बाद, आ.वि.कं. को मासिक आधार पर पीबीसी डेटा प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है, जिसमें प्रत्येक प्रस्तुति अगले महीने की 15 तारीख तक की जाए।

4. इस परामर्श के प्रावधान 01 नवंबर, 2024 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(एस. के. पाढ़ी)
महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग